न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 86/2019 GCMS No 2019/00339
दायरा तिथि : 13.12.2019
फैसला तिथि : 06-9-2021

प्रार्थीगण::–

1. नारायणी देवी पत्नि कालुरामजी
2. सीतादेवी पत्नि चंपालालजी
3. कालुराम पुत्र टेकचन्दजी
4. चंपालाल पुत्र टेकचन्दजी जातिगण छीपा
   निवासीगण नाना तहसील बाली जिला पाली (राज0)
5. हुसैन भाई पुत्र करीमभाई जाति मुसलमान नि0 नाना के कामु वारिशानः–
   अ– युनुष पुत्र हुसैनभाई
   ब– आरिफभाई पुत्र हुसैनभाई
   स–आसिफ पुत्र हुसैनभाई
   द– इलियास पुत्र हुसैनभाई जातिगण मुसलमान
   निवासीगण नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री ओम प्रकाश दवे .... अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली........................ पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक 06-9-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा धारित खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नाना तहसील बाली के **खसरा नंबर 108** का अधिकार अभिलेखो में **दर्ज त्रुटिपुर्ण रकबा 6.3513 हैक्टर** को दुरस्ती के माध्यम से **7.1513 हैक्टर दर्ज किये** जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया कि रेकर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में खसरा नंबर 108 रकबा 7.97 इन्द्राज था,परन्तु इसके पश्चात् बनी जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 में अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 108 का **रकबा 7.97 हैक्टर के स्थान पर 7.17 हैक्टर त्रुटिपुर्ण रूप** से दर्ज कर दिया, जो इन्द्राज इसके बाद की बनी जमाबंदियो में भी होते रहे। उक्त त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के चलते केन्द्र सरकार के रेल्वे अधिलिनयम 1889 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2010 को खसरा नंबर 108 मेंसे 0.7539 हैक्टर आराजी अर्जन की व उसके बाद दिनांक 10.6.2010 को उक्त आराजी मेंसे 0.0648 हैक्टर आराजी पुनः अर्जन की गई। यानि रेल्वे हेतु कुल 0.8187 हैक्टर भूमि अर्जन की गई व उक्त रकबा रेल्वे में अर्जित होने के बाद प्रार्थीगण के खाते में वर्तमान में 6.3515 हैक्टर रकबा इन्द्राज है। जबकि प्रार्थीगण के वर्तमान में **7.1513 हैक्टर दर्ज** होना चाहिये था। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी वर्तमान, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2052 से 2055, जमाबंदी संवत् 2056 से 2059, जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 की प्रतिया, रेल्वे द्वारा अधिगृहित भूमि के नोटिस की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर जांच प्रतिवेदन अपने कार्यालय पत्रांक/ भू.अ./ 21/ 1315 दिनांक 30.7.2021 से निम्नानुसार प्रेषित किया:–

1. कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना की जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 के अनुसार 7.97 हैक्टर भूमि थी।
2. कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना की जाबंदी संवत् 2060 से 2063 में खसरा नंबर 108 का रकबा 7.17 हैक्टर हो गया, जो 0.80 हैक्टर कम हैं। जिसका 2056 से 2059 व 2060 से 2063 की जमाबंदी में किसी भी तरह का अमल दरामद नहीं हैं।
3. कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के रकबे में से रेल्वे विभाग को दो बार भूमि क्रमशः 0.7539 व 0.0648 अर्थात् कुल 0.8187 हैक्टर भूमि रेल्वे विभाग के नाम दर्ज हुई।
4. वर्तमान में जमाबंदी अनुसार 7.17 हैक्टर --0.8187(रेल्वे विभाग) =6.3515 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं।

उपखण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

पेज लगातार.................02

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 86/2019 **GCMS No 2019**/00339

अनवान नारायणीदेवी वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956

गत् व हाल रेकर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 108 में कुल **रकबा 0.80 हैक्टर की कमी हुई** जो कि गलत हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण इन्द्राज होने से वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 108 का रकबा **6.3515 के स्थान पर सही रकबा 7.1513 हैक्टर दर्ज किये जाने की अनुशंषा** रिपोर्ट मय पटवारी हल्का, नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेजी साक्ष्यो सहित प्रेषित किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री ओमदवे ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नाना के खसरा नंबर 108 का जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में रकबा 7.97 हैक्टर सही तौर पर दर्ज होते हुये हल्का पटवारी नाना द्वारा जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 तहरीर करते समय बिना किसी आदेश के रकबा 7.97 के स्थान पर त्रुटिपुर्ण तौर पर 7.17 हैक्टर (**0.80 हैक्टर कम रकबा**) दर्ज कर दिया। उक्त त्रुटिपुर्ण इन्द्राजो की वजह से रेल्वे में अधिग्रहित रकबा 0.8187 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी से कम करने के बाद वर्तमान अधिकार अभिलेखों में खसरा नंबर 108 का रकबा 6.3513 हैक्टर ही दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण के नाम 7.1513 हैक्टर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये। जिससे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम नाना के खसरा भूमि खसरा नंबर 108 का रकबा 6.3513 हैक्टर की बजाय सही इन्द्राज खसरा नंबर 108 का रकबा 7.1513 हैक्टर दर्ज किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नाना के खसरा नंबर 108 का रकबा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में सही तौर पर 7.97 हैक्टर दर्ज था, जिसको पटवारी हल्का, नाना द्वारा जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 तहरीर करते समय बिना किसी आदेश के **रकबा 7.97 के स्थान पर त्रुटिपुर्ण तौर पर 7.17 हैक्टर** (**0.80 हैक्टर कम रकबा**) दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का नाना की उक्त त्रुटिपुर्ण कार्यवाही की वजह से वर्तमान जमाबंदी में 7.17–0.8187(रेल्वे विभाग) **=6. 3515 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं**, जबकि नियमानुसार प्रार्थी के खातेदारी **में 7.1513 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिये।** जिसके लिये प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली अपनी जांच रिपोर्ट स्वीकार करते हुये वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नंबर 108 का रकबा 6.3513 के स्थान पर सही रकबा 7.1513 हैक्टर दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान करते हैं। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार दोनो पक्षो के सहमत होने पर राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकिय त्रुटियो को उपखण्ड अधिकारी दुरस्त करने के आदेश प्रदान कर सकता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम **नाना के खसरा नंबर 108 का रकबा 6.3513 के स्थान पर दुरस्ती के माध्यम से 7.1513 हैक्टर दर्ज के आदेश** दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, नाना आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे, इस हेतु आदेश प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आर.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 6-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

Scanned with CamScanner